विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009–1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 22.10.2024

विषयः– हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के पास बनवाने बारे।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 25 अक्तूबर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घा में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण **राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए।**

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित न हों सकें तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें। इस विषय पर इस विभाग द्वारा पहले ही एक परिपत्र क्रमांक 1/10/2022–पी0ए0, दिनांक 03.07.2023 जारी किया जा चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त परिपत्र की दृढ़ पालना सुनिश्चित की जाये।जो अधिकारी/कर्मचारी हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन हेतु पास बनवाना चाहते है, वे **दिनांक 23 अक्तूबर, 2024** तक अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के माध्यम से राजनैतिक शाखा में भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय
अशोक
अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 1/6/2009–1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 22.10.2024

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अशोक 22.10.24.
अधीक्षक संसदीय कार्य